ए.

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम.

पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। (2019 का सिविल अपील सं. 4242 आदि) 22 जनवरी, 2020

बी.

[रोहिंटन फाली नरीमन**,** अनिरुद्ध बोस और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे।**]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

सी.

एस।31 – निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.)-समाधान योजना जिसमें 500 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 477 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी-अपीलीय न्यायाधिकरण ने सफल समाधान आवेदक को रुपये की अग्रिम भुगतान राशि बढ़ाने का निर्देश दिया। 477 करोड़ रु. 597.54 करोड़ अर्थात औसत परिसमापन मूल्य के बराबर-उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितःसंहिता या विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए आवश्यक हो कि समाधान आवेदक की बोली परिसमापन मूल्य से मेल खाती हो-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यू/एस प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।31 – अपीलीय प्राधिकरण को अपने निधि प्रवाह को बढ़ाने के लिए सफल समाधान आवेदन को निर्देशित करने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

डी.

ई.

एस।12-ए-आयोजित की प्रयोज्यताःनिकास मार्ग यू/एस निर्धारित किया गया है।12-समाधान आवेदक पर ए लागू नहीं होता है-इसमें परिकल्पित प्रक्रिया केवल एस. एस. का आह्वान करने वाले आवेदकों पर लागू होती है।7, 9 और कोड के 10।

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** दिवाला और दिवालियापन संहिता**, 2016** या भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड **(**कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया**)** विनियम**, 2016** में कोई प्रावधान अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया है**,** जिसके तहत किसी भी

समाधान आवेदक की बोली को विनियमों के खंड **35** में प्रदान किए गए तरीके से प्राप्त परिसमापन मूल्य से मेल खाना पड़ता है।**[**पैरा **26] [1179** एफ**-**जी**]**

जी.

1.2 इस तरह की मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य ऋणदाताओं की समिति **(**सीओसी**)** को निर्णय लेने में सहायता करना है।

एच.

1157

1158 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 2 एस. सी. आर.

एक समाधान योजना पर ठीक से।एक बार**,** सी**.** ओ**.** सी**.** द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद**,** संहिता की धारा **31 (1)** के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर वैधानिक अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि एक समाधान योजना धारा **30** की उप**-**धारा **(2)** और **(4)** की आवश्यकता को पूरा करती है।इस प्रकार**,** समाधान योजना को मंजूरी देने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश में उक्त प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं है।**[**पैरा **27] [1179** जी**-**एच**; 1180** ए**-**बी**]**

बी.

1.3 अपीलीय प्राधिकरण वाणिज्यिक ज्ञान के बजाय न्यायसंगत धारणा पर आगे बढ़ा है। इसके बावजूद**,** परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य से **20** प्रतिशत कम मूल्य पर परिसंपत्तियों को जारी करना असमान प्रतीत होता है।यहाँ**,** न्यायालय को मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर समाधान योजना का आकलन करने के बजाय लेनदारों के व्यावसायिक विवेक को आधार देना चाहिए।संहिता की योजना ऐसी है।संहिता की धारा **31 (1)** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाधान योजना के अंतिम अनुमोदन के लिए**,** न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट होना होगा कि संहिता की धारा **30** की उप**-**धारा **(2)** की आवश्यकता का पालन किया गया है।संहिता की धारा **31 (1)** के प्रावधान में एक अन्य बिंदु निर्धारित किया गया है जिस पर एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट किया जाना है।वह कारक यह है कि समाधान योजना में इसके कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं।अपीलीय प्राधिकरण को निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था ताकि सफल समाधान आवेदक को अपने धन प्रवाह को बढ़ाने का निर्देश दिया जा सके।**[**पैरा **28] [1180** बी**-**एफ**]**

सी.

डी.

ई.

2. जहाँ तक एम. एस. एल. द्वारा निकाले गए आई. ए. का संबंध है, वे इस अदालत से संपर्क करने के तरीके से कार्यवाही से पीछे नहीं हट सकते हैं।धारा **12-**ए में निर्धारित निकास मार्ग समाधान आवेदक पर लागू नहीं होता है।उक्त प्रावधान में परिकल्पित प्रक्रिया केवल संहिता की धारा **7,9** और **10** को लागू करने वाले आवेदकों पर लागू होती है। वर्तमान मामले में, समाधान योजना को लागू करने के उद्देश्य से एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के खिलाफ अपील करने के बाद, एम. एस. एल. को उसी अपील के संबंध में दायर आवेदन में विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसके अलावा, एमएसएल ने केवल कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को गिरवी रखने पर धन जुटाया है।ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय इस प्रश्न का निर्धारण करने की न्यायिक कवायद में शामिल नहीं है कि क्या सी. आई. आर. पी. में सफल होने के बाद, एक आवेदक ऐसी प्रक्रिया से हटने के अपने अधिकार को पूरी तरह से खो देता है या नहीं।**[**पैरा **29] [1180** एफ**-**एच**]** ए

एफ.

जी.

एच.

1159

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस।

3. समाधान पेशेवर को निर्देश दिया जाता है कि वह कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले और इसे चार सप्ताह की अवधि के भीतर समाधान आवेदक को सौंप दे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे समाधान पेशेवर को सहायता प्रदान करें ताकि वह इन निर्देशों का पालन कर सके।**[**पैरा **32] [1181** ई**-**एफ**]**

बी.

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम

सतीश कुमार गुप्ता (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1478-पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 4242।

सी.

2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 128 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 08.04.2019 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

डी.

2019 की सिविल अपील संख्या 4967-4968।

कपिल सिब्बल, गोपाल सिंह, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, के. वी. विश्वनाथन, राणा मुखर्जी, नीरज किशन कौल, अनुपम लाल दास, दीपक नारगोलकर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अजय भार्गव, श्रीमती वनिता भार्गव, सुश्री वामिका त्रेहन, असीम चतुर्वेदी, वांस सेठी (मेसर्स खेतान एंड कंपनी के लिए), वर्गीज थॉमस, मनीष झा, राघव सभरवाल, दिव्यम अग्रवाल, एल. निधिराम शर्मा, अपूर्व सिंघल, जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बैरपानेनी, सुश्री फिल्जा मूनिस, मोहम्मद।वसीय खान, भरत जे. जोशी, जॉन मैथ्यू, कार्तिक एस. डी., आदित्य वर्मा, श्रेय पटनायक, उत्कर्ष जोशी, वरुण, सिन्हा श्रेय, एस. पी. सिंह चावला, प्रतीक सोम, आदित्य शंकर, शुभम बंसल, अर्जुन सिंह भाटी, टी. एन. दुर्गा प्रसाद, सौमिक घोषाल, गौरव सिंह, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ई.

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस**,** जे।

1. ये कार्यवाही निगमित ऋणदाता यूनाइटेड सीमलेस तुबुलार प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) से उत्पन्न होती है।सफल समाधान आवेदक, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। (एम. एस. एल.) 2019 के सी. ए. सं. 4242 में अपीलार्थी है।निगमित देनदार का कुल ऋण रु। 1897 करोड़, जिसमें से Rs.1652 करोड़ में डॉयचे की दो संस्थाओं से सावधि ऋण शामिल थे।

जी.

एच.

ए.

बैंक।ये हैं डी. बी. इंटरनेशनल (एशिया) लिमिटेड और डॉयचे बैंक ए. जी., सिंगापुर शाखा। रुपये की कार्यशील पूंजी उधार लेने के कारण भी ऋण था। एक अन्य बैंक से 245 करोड़ रुपये, जो इंडियन बैंक है।इंडियन बैंक सी. आई. आर. पी. का आरंभकर्ता है, जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) की धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया है।डी.

बी. इंटरनेशनल (एशिया लिमिटेड) 2019 के सी. ए. No.4967-68 में अपीलार्थी है।यू. एम. डब्ल्यू. नामक एक संस्था ने उक्त सावधि ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में डॉयचे बैंक, सिंगापुर को निगमित गारंटी प्रदान की थी।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, हैदराबाद पीठ (एन. सी. एल. टी.) ने 21 जनवरी, 2019 को पारित एक आदेश द्वारा समाधान पेशेवर द्वारा दायर एक आवेदन में एम. एस. एल. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी।इस समाधान योजना में रुपये का अग्रिम भुगतान शामिल था। 477 करोड़ रु.न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा उक्त समाधान योजना को इस निष्कर्ष के साथ मंजूरी देते हुए सहायक निर्देश जारी किए गए थे कि उक्त योजना संहिता की धारा 30 (2) की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है।यह आदेश राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष अपील में चलाया गया था, जो एन. सी. एल. टी. के समक्ष पक्षकार रहे दो व्यक्तियों द्वारा संहिता के तहत अपीलीय प्राधिकरण था। वे कॉर्पोरेट देनदार, पद्मनाभन वेंकटेश और इंडियन बैंक के प्रवर्तकों में से एक थे।ये अपीलें कंपनी अपील (एटी) (इंसोल) के रूप में दर्ज की गई थीं। 2019 की संख्या 128 और 247।कंपनी कानून (ए. टी.) (इंसोल) में अपीलार्थी। नहीं। 128/2019 कहा गया था पद्मनाभन वेंकटेश। कंपनी कानून (ए. टी.) (इंसोल) में अपीलार्थी। 2019 का 247 नंबर भारतीय बैंक था।28 फरवरी 2019 को पारित न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ सफल समाधान आवेदक (एम. एस. एल.) द्वारा दायर एक अन्य अपील के साथ इन दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।एमएसएल की अपील कंपनी अपील (एटी) (इंसोल) के रूप में दर्ज की गई थी। 2019 का सं. 220।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

2. एमएसएल की यह अपील उनके द्वारा सीपी (आईबी) नंबर 49/7 एचडीबी/2017 में दायर 2019 के आई. ए. नंबर 125 के संबंध में थी।उस आवेदन में, एमएसएल ने समाधान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कॉर्पोरेट देनदार के साथ-साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश देने की मांग की थी।उस कार्यवाही में एम. एस. एल. की शिकायत यह थी कि उन्हें निगमित देनदार की परिसंपत्तियों तक पहुंच नहीं दी जा रही थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आवेदन का निपटारा करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दियाः-

जी.

“20. भले ही प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा माननीय एन. सी. एल. ए. टी. को अपील की जाती है, लेकिन कोई रोक नहीं है और अपील 07.03.2019 पर सुनवाई के लिए आ रही है।इस योजना का कार्यान्वयन विषय ए है।

एच.

1161

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

अपील के परिणाम के लिए।इसलिए, निगमित ऋणदाता कंपनी की समाधान योजना को लागू करने में आवेदक को सहयोग देने के लिए संबंधित को निर्देश दिया जा सकता है और यह केवल उस अपील के परिणाम के अधीन है जो माननीय एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष लंबित है।

21. पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को निर्देश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आवेदन की तारीख तक आवेदक ने बोली राशि जमा नहीं की है।इसलिए, पहली बार में कॉर्पोरेट देनदार कंपनी के सभी संबंधितों को आवेदक को सभी प्रकार का सहयोग देने का निर्देश दिया जा सकता है।यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त निर्देश के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क करना आवेदक के लिए हमेशा खुला है।

बी.

सी.

22. परिणामस्वरूप, समाधान योजना को लागू करने में आवेदक को सभी प्रकार का सहयोग देने के लिए निगमित ऋणदाता कंपनी के संबंधित को निर्देश देने वाले आवेदन का निपटारा किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो इस आदेश के बाद आवश्यक निर्देश के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए समाधान आवेदक के लिए यह खुला है।” (उद्धृत शब्दशः) 3.उपरोक्त अपीलों में 8 अप्रैल 2019 के सामान्य आदेश में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित कियाः-

डी.

“45. ‘एम/एस।महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड '। ('सफल समाधान आवेदक') ने याचिका दायर की है कि रुपये के सत्यापित दावों में से 948/-, और सत्यापित 'परिचालन लेनदारों' को 'वित्तीय लेनदारों' के समान प्रतिशत यानी 25 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए तैयार है, जिसका भुगतान 'सफल समाधान आवेदक' के स्पष्ट और निर्बाध अधिकार और 'कॉर्पोरेट देनदार' के अधिकार प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।रुपये 2,02,88,948/- के सत्यापित दावे का 25 प्रतिशत रुपये है। 50,72,237-लगभग, इसलिए, भले ही इस

तरह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए, तो यह Rs.577,50,237/- यानी Rs.578 करोड़ होगा, जो रुपये के परिसमापन मूल्य से भी बहुत कम है। 597.54 करोड़।

ई.

एफ.

46. मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि 'एम/एस।'महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड' को 'वित्तीय लेनदारों', 'परिचालन लेनदारों' और अन्य लेनदारों के लिए प्रस्तावित ₹1 करोड़ का अग्रिम भुगतान बढ़ाकर ₹1 करोड़ करना चाहिए। 597.54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करके। 120.54 इसे रुपये के औसत परिसमापन मूल्य के बराबर बनाने के लिए लगभग करोड़। 597.54 करोड़।यदि अग्रिम राशि को बढ़ाकर रु। 597.54 करोड़,

जी.

एच.

कुल राशि 'वित्तीय लेनदारों' और 'परिचालन लेनदारों' के बीच उसी अनुपात में वितरित की जानी चाहिए जैसा कि सुझाव दिया गया है।'समाधान आवेदक' के सुझाव के अनुसार, 'परिचालन लेनदारों' को 'वित्तीय लेनदारों' को आवंटित राशि का समान प्रतिशत दिया जा सकता है।

47. यदि 'समाधान आवेदक' रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। 120.54 करोड़ के अलावा Rs.477 करोड़ जिससे यह बढ़कर रु। 597.54 करोड़ (कुल) और 30 दिनों के भीतर एस्क्रो खाते में राशि जमा करें, ऐसे मामले में 'समाधान योजना' के अनुमोदन के विवादित आदेश को अलग रखा जाना चाहिए।इसके बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।" (उद्धृत शब्दशः)

बी.

सी.

4. जहाँ तक अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एम. एस. एल. की अपील का संबंध है, इसका अन्य दो अपीलों के साथ सीधा संबंध था।इस अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा यह अभिनिर्धारित और अवलोकन किया गया थाः-

“54. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि 'समाधान योजना' 'आई एंड बी कोड' के कथन और उद्देश्य के खिलाफ है और इसलिए, हमने योजना को संशोधित करने के लिए मेसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड को निर्देश दिया है।जब तक योजना को संशोधित नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर आदेश दिया गया है, 'एम/एस।महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड 'ऊपर दिए गए और दर्ज किए गए निर्देश का पालन किए बिना' कॉर्पोरेट देनदार 'का अधिग्रहण नहीं कर सकता है।

डी.

ई.

55. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रवर्तक/पूर्व निदेशक 'कॉर्पोरेट देनदार' के परिसर और संयंत्र पर कब्जा करने के मामले में बाधा पैदा करेंगे, जिसे वर्तमान में 'समाधान पेशेवर' द्वारा लिया जाना चाहिए।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण 'समाधान पेशेवर' को संयंत्र और कार्यालयों और 'निगमित ऋणदाता' के अन्य परिसरों और परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का निर्देश देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपत्ति तब तक बरकरार रहे जब तक कि 'समाधान आवेदक' द्वारा योजना में सुधार नहीं किया जाता है।इस तरह के कब्जे को लेने के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संबंधित जिला कलेक्टर और जिले के पुलिस अधीक्षक को 'समाधान पेशेवर' को 'कॉर्पोरेट देनदार' के परिसर और संयंत्र और सभी चल और अचल संपत्तियों पर कब्जा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बल प्रदान करने का निर्देश देगा।

एफ.

जी.

एच.

1163

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

ए.

56. यदि 'समाधान आवेदक' 'समाधान योजना' को संशोधित करता है, जैसा कि ऊपर आदेश दिया गया है और रुपये की एक और राशि जमा करता है। 120.54 करोड़ 30 दिनों के भीतर, योजना में सुधार करके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण 'मेसर्स' को अनुमति देगा। महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड 'अपनी चल और अचल संपत्तियों और संयंत्र सहित' कॉर्पोरेट देनदार 'का कब्जा अपने हाथ में लेगा।असफल होने पर, योजना को 'मेसर्स' के पक्ष में मंजूरी दी गई।महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड 'को अलग माना जाता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।”

बी.

(उद्धृत शब्दशः) 5.2019 की आई. ए. संख्या 115118 के रूप में पंजीकृत एक आवेदन है, जिसे एमएसएल द्वारा हमारे समक्ष अपनी अपील के संबंध में लिया गया है।इस आवेदन में, उन्होंने वास्तव में, ब्याज के साथ समाधान योजना के संदर्भ में जमा की गई राशि की वापसी की मांग की है।इस आवेदन में एमएसएल ने समाधान योजना को वापस लेने के लिए भी आवेदन किया है।उनकी शिकायत यह है कि कॉर्पोरेट देनदार को संभालने के लिए, उन्होंने पर्याप्त अवधि के ऋण सुविधा का लाभ उठाया था और 19 फरवरी, 2019 को एक निर्दिष्ट एस्क्रो खाते में कॉर्पोरेट देनदार के समाधान के लिए Rs.477 करोड़ की राशि जमा की थी, लेकिन समाधान योजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण, वे ब्याज का बोझ वहन करने के लिए मजबूर थे।यह भी उनका मामला है कि समाधान योजना के सफल कार्यान्वयन की प्रत्याशा में उन्होंने जो निर्यात आदेश स्वीकार किए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट देनदार का अधिग्रहण अव्यवहारिक हो गया था।6. संहिता की धारा 7 के तहत इंडियन बैंक का आवेदन 12 जून 2017 को दायर किया गया था।शुरू में एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में कार्यवाही में बदल दिया गया था।रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने 10 जनवरी, 2018 को इच्छुक पक्षों से 28 फरवरी, 2018 तक आवेदन आमंत्रित किए।इस समय सीमा को बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया और कुल मिलाकर चार समाधान योजनाओं को ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.) के समक्ष रखा गया।इस समिति का गठन 18 अगस्त 2017 को अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा किया गया था।इनमें से एक योजना एमएसएल की थी। अन्य समाधान आवेदक जिसके प्रस्ताव पर विचार किया गया था, वह मैसर्स एरिया प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड था।एम. एस. एल. ने Rs.477 करोड़ के अग्रिम भुगतान की पेशकश की थी।एम. एस. एल. की समाधान योजना को मतदान हिस्सेदारी का 87.10% रखने वाले वित्तीय लेनदारों द्वारा अनुमोदित किया गया था।इस मतदान खंड में दो उपरोक्त डॉयचे बैंक इकाइयाँ शामिल थीं।डॉयचे बैंक इंटरनेशनल (एशिया) लिमिटेड का सी. ओ. सी. में 73.40% वोट शेयर था और इंडियन बैंक का 12.90% वोटिंग शेयर था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

7. के. विजय भास्कर रेड्डी और पी. मधु नामक दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को शुरू में कॉर्पोरेट देनदार का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था।उनका मूल्यांकन क्रमशः Rs.681 करोड़ और Rs.513 करोड़ था।उनके मूल्यांकन में पर्याप्त अंतर के कारण, समिति ने एक तीसरे मूल्यांकनकर्ता, डफ और फेल्प्स को नियुक्त किया।उन्होंने कॉर्पोरेट देनदार का मूल्य Rs.352 करोड़ आंका।इसके बाद समिति ने पी. मधु और डफ और फेल्प्स द्वारा मूल्यांकन के दो निकटतम अनुमानों के औसत को ध्यान में रखा और परिसमापन मूल्य रु। 432.92 करोड़।

बी.

8. इसके बाद, समाधान पेशेवर द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें उन्होंने समाधान योजना की मंजूरी मांगी थी।उस आवेदन का निपटारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 28 सितंबर, 2018 को पारित एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें समाधान पेशेवर को पी. मधु और के. विजय भास्कर के पहले और दूसरे मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन मूल्य का पुनः निर्धारण करने का निर्देश दिया गया था।इसे अन्य बातों के साथ-साथ 28 सितंबर, 2018 के इस क्रम में निर्देशित किया गया थाः-

सी.

डी.

“(2) समाधान पेशेवर कॉर्पोरेट ऋणदाता कंपनी के संशोधित परिसमापन मूल्य के आलोक में पुनर्विचार के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष एम. एस. एल. की समाधान योजना के साथ योग्य समाधान योजनाओं को रखने के लिए सी. ओ. सी. की एक बैठक बुलाएगा।

ई.

(3) 30 उपरोक्त निर्देश को पूरा करने के लिए आज से सी. आई. आर. पी. अवधि से दिनों का समय हटा दिया गया है।

(4) समाधान पेशेवर को निर्देश दिया जाता है कि वे निदेशकों/निलंबित बोर्ड को सी. ओ. सी. की बैठकों में भाग लेने की अनुमति दें और उन्हें अपने विचार और सुझाव व्यक्त करने की अनुमति दें और सी. ओ. सी. की बैठक के कार्यवृत्त में इसे दर्ज करें।

एफ.

9. निगमित देनदार का संशोधित मूल्यांकन किया गया, जिसे बढ़ाकर रु। 597.54 करोड़ रुपये से। 432.92 करोड़।16 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी 9 वीं बैठक में समिति

ने संशोधित मूल्यांकन पर विचार किया और बहुमत मतदान पर एमएसएल की समाधान योजना को फिर से मंजूरी दी। निलंबित बोर्ड के निदेशकों को समिति के समक्ष अपने विचार और सुझाव व्यक्त करने का अवसर दिया गया।

जी.

10. 28 सितंबर 2018 को पारित न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ एमएसएल द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील की गई थी। यह अपील 2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.637 के रूप में दर्ज की गई थी।उस अपील का न्यायाधिकरण द्वारा 12 नवंबर 2018 को निम्नलिखित अवलोकन और निर्देश के साथ निपटारा किया गया थाः- ए.

एच.

1165

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

“'लेनदारों की समिति' के सदस्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में इस अपील के लंबित रहने के दौरान, 'लेनदारों की समिति' द्वारा संशोधित परिसमापन मूल्य पर विचार किया गया था, जिसके बाद 'अपीलार्थी की समाधान योजना'-'महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड' को मंजूरी दे दी गई है। यह 'समाधान पेशेवर' की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया जाता है।उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपील में उठाए गए प्रश्न पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिसका उत्तर किसी अन्य मामले में दिया जा सकता है।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अब अपने पहले के आदेश से अप्रभावित किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 के तहत आदेश पारित करने की आवश्यकता है, जो चुनौती के तहत है।अपील का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ किया जाता है।” (उद्धृत शब्दशः)

बी.

सी.

11. 2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.637 के निपटारे से पहले, 25 अक्टूबर 2018 को समाधान पेशेवर ने 16 अक्टूबर 2018 को आयोजित समिति की 9 वीं बैठक में निर्णय के अनुसार समाधान योजना की मंजूरी के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन (I.A.No.472/2018) दायर किया था।हमने इस फैसले में पहले हुई उक्त बैठक के परिणाम का उल्लेख किया है।2016 की संहिता की धारा 31 पर विचार करने के

बाद समाधान योजना को मंजूरी देते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का आदेश 21 जनवरी 2019 को जारी किया गया था।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ, अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित करता हैः-

डी.

ई.

“27. समाधान पेशेवर ने 9 वीं सी. ओ. सी. के कार्यवृत्त को संलग्न करते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया है। सवाल यह है कि क्या मेसर्स एमएसएल द्वारा प्रस्तुत योजना संहिता की धारा 30 (2) के अनुरूप है।यदि यह अनुरूप है, तो योजना को संहिता की धारा 31 के तहत अनुमोदित किया जाना है।सी. ओ. सी. ने आई. डी. 1 पर आयोजित 9 वीं सी. ओ. सी. बैठक में सभी योग्य समाधान योजनाओं की फिर से जांच की है।मेसर्स एमएसएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना संशोधित परिसमापन मूल्य से कम है।अंतर लगभग Rs.120 करोड़ है। तथापि, माननीय एन. सी. एल. ए. टी. के निर्देशों के अनुसार, यह न्यायाधिकरण अपने पिछले आदेश से प्रभावित हुए बिना मेसर्स एम. एस. एल. द्वारा दायर योजना पर निर्णय लेगा।

एफ.

जी.

28. सी. ओ. सी. ने मैसर्स एम. एस. एल. द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें वित्तीय लेनदारों के अधिकांश मतदान हिस्से के साथ

एच.

87.10%.सी. ओ. सी. ने अपने विवेक से योजना को मंजूरी दे दी है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय बैंक, अन्य वित्तीय लेनदार जिसका मतदान हिस्सा 12.90% है, ने समाधान योजना के अनुमोदन का विरोध किया।नवीनतम संशोधन के अनुसार समाधान योजना के अनुमोदन के लिए मतदान का न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत 66 प्रतिशत है।इस मामले में, वित्तीय लेनदारों के 87.10 के मतदान हिस्से के साथ समाधान योजना ने योजना को मंजूरी दी।

बी.

29. अन्य तर्क ने उठाया कि अग्रिम भुगतान संशोधित परिसमापन मूल्य से कम है और इसलिए, योजना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।दूसरी ओर, माननीय एन. सी. एल. ए. टी. ने कंपनी अपील में अभिनिर्धारित किया है कि यह न्यायाधिकरण पिछले आदेश से प्रभावित हुए बिना आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत आवेदन पर निर्णय लेगा।जब ऐसा होता है, तो मेसर्स एमएसएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर विचार करते समय संशोधित परिसमापन मूल्य की कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायाधिकरण को आई. बी. सी. की धारा 30 (2) के प्रावधानों के संदर्भ में समाधान योजना का परीक्षण करना होगा। समाधान पेशेवर ने प्रमाणित किया कि मेसर्स एमएसएल की योजना संहिता की धारा 30 (2) के प्रावधानों के अनुरूप है।इसलिए, पुनर्निर्धारण से पहले परिसमापन मूल्य यदि ध्यान में रखा जाए, तो मेसर्स एमएसएल द्वारा प्रस्तावित अग्रिम भुगतान परिसमापन मूल्य से अधिक है। इसलिए, निदेशक (निलंबित बोर्ड) और इंडियन बैंक द्वारा की गई आपत्ति को माननीय एन. सी. एल. ए. टी. के निर्देश को ध्यान में रखते हुए ध्यान में नहीं रखा जा सका।

सी.

डी.

ई.

30. अगला तर्क यह उठाया गया कि समाधान आवेदक ने संहिता की धारा 31 (4) के तहत आवश्यक सी. सी. आई. की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की है।समाधान पेशेवर के अधिवक्ता का तर्क होगा कि सी. सी. आई. से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैसर्स एम. एस. एल. द्वारा प्रस्तुत योजना सी. सी. आई. के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है। निदेशक (निलंबित बोर्ड) ने 9 वीं सी. ओ. सी. बैठक में इसे उठाया है और इसका जवाब दिया जाता है कि इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।अन्यथा भी धारा 31 (4) में यह प्रावधान है कि कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के तहत आवश्यक अनुमोदन समाधान आवेदक द्वारा एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसे कानून के तहत निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना है।इसलिए, यदि आवश्यक हो तो समाधान आवेदक एक वर्ष की अवधि में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।इस प्रकार, समाधान पेशेवर द्वारा दायर मेसर्स एमएसएल की समाधान योजना को मंजूरी दी जानी है क्योंकि यह आईबीसी की धारा 30 (2) की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

एफ.

जी.

एच.

ए.

31. परिणामस्वरूप, मेसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई है और यह समाधान योजना में शामिल कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगी।32. अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार कंपनी की पुनरुद्धार योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।धारा 14 के तहत इस न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश खाली नहीं होगा।

बी.

33. समाधान पेशेवर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन से संबंधित सभी रिकॉर्ड और समाधान योजना को आई. बी. बी. आई. को उसके डेटाबेस पर दर्ज करने के लिए भेजेगा।34. सी. ए. सं. 472/2018 सी. पी. (आई. बी.) No.49/7HBD/2017 में उपरोक्त के संदर्भ में निपटाया जाता है।" (उद्धृत शब्दशः)

सी.

12. एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष मूल प्रवर्तकों और बैंक में से एक, पद्मनाभन वेंकटेश की शिकायत मुख्य रूप से इस आधार पर थी कि समाधान योजना की मंजूरी Rs.477 करोड़ की राशि समाधान आवेदक को अप्रत्याशित लाभ दे रही थी क्योंकि उन्हें रु. बहुत कम राशि पर 597.54 करोड़।बैंक द्वारा आग्रह किया गया दूसरा आधार यह था कि समाधान आवेदकों में से एक, एरिया प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने Rs.490 करोड़ का संशोधित प्रस्ताव दिया था, जो एमएसएल द्वारा दी गई राशि से अधिक था। अपील की सुनवाई के दौरान, ऐसा प्रतीत होता है कि सफल समाधान आवेदक ने अधिक धन के निवेश का संकेत दिया था, जिसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा विचार में लिया गया था। यह हमारे समक्ष अपील के तहत एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के निम्नलिखित मार्ग से प्रकट होगाः-

डी.

ई.

"24. यह प्रस्तुत किया गया था कि वास्तव में 'सफल समाधान आवेदक' का कुल प्रदर्शन लगभग रु। 657.50 करोड़ हालांकि रु। 477 करोड़ अग्रिम राशि है।इसके अलावा रु। 180.50 करोड़ जो 'मेसर्स' द्वारा सीधे 'कॉर्पोरेट देनदार' में डाले जाएंगे।महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड '-(चौथा उत्तरदाता)।इसके अलावा, रु। कार्यशील पूंजी व्यय के 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के लिए 57 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।इसके अलावा, वास्तव में, कुल कार्यशील पूंजी रु। 224 करोड़, शेष राशि बैंक (ओं) से ऋण के रूप में ली जानी है, जिसके लिए चौथे प्रत्यर्थी की कॉर्पोरेट गारंटी की भी आवश्यकता होगी।

एफ.

जी.

25. यह भी तर्क दिया गया कि 'कॉर्पोरेट देनदार' संयंत्र पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ा हुआ है।इसके अलावा, सभी में

एच.

इससे पहले के अपने परिचालन जीवन में, 'कॉर्पोरेट देनदार' सात वर्षों की अवधि में कुल 1,50,000 मीट्रिक टन का उत्पादन भी नहीं कर सका, जो कि इसकी एक वर्ष की उत्पादन क्षमता मानी जाती है।इस प्रकार, यह उचित और गहन विचार के बाद ही था, जिसमें व्यापक आगे के निवेशों को ध्यान में रखना शामिल था, जो अनिवार्य रूप से कॉर्पोरेट ऋणदाता को आगे बढ़ाने और चलाने के लिए किया जाना था, कि 'सफल समाधान आवेदक' ने रु। 477 करोड़, जो योजना की मंजूरी के 30 दिनों के भीतर देय था।

बी.

26. इसलिए, चौथे प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के अनुसार, चौथे प्रत्यर्थी द्वारा कुल रु। 657.50 करोड़ 'कॉर्पोरेट देनदार' की परिसंपत्तियों के अधिकतमकरण के लिए है।" (उद्धृत शब्दशः)

सी.

13. हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के तर्क को त्रुटिपूर्ण पाया।-

"34. इसलिए, यह स्पष्ट है कि 'लेनदारों की समिति' ने परिसमापन मूल्य के औसत को भी स्वीकार किया है जो रु। 597.54 करोड़ और जिसके आधार पर 'समाधान योजना' पर विचार किया गया था।यदि 'समाधान योजना' पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 'वित्तीय लेनदारों' के स्वीकृत बकाया का 25 प्रतिशत 'समाधान योजना' में अनुमति दी गई है।दूसरी ओर, 'परिचालन लेनदारों' के साथ भेदभाव किया गया है। परिसमापन मूल्य रु। <आई. डी. 1 करोड़, 'समाधान आवेदक' द्वारा सुझाए गए अग्रिम भुगतान कम यानी रु. 477 करोड़ रुपये, 'परिचालन लेनदारों' को भुगतान आनुपातिक परिसमापन मूल्य से कम है, इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 'समाधान योजना', 'आई एंड बी कोड' की धारा 30 (2) (बी) के खिलाफ है।" (उद्धृत शब्दशः)

डी.

ई.

एफ.

हमने इस फैसले में पहले एन. सी. एल. ए. टी. के अंतिम निष्कर्ष और निर्देशों को दोहराया है।

14. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल द्वारा एमएसएल की अपील मुख्य रूप से इस आधार पर है कि एनसीएलएटी ने समाधान योजना में परिसमापन मूल्य के मिलान का निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था।अपील में एम. एस. एल. ने समाधान योजना को बनाए रखने की मांग की है, लेकिन अंतर्वर्ती आवेदन में उनका अनुरोध समाधान योजना को वापस लेने के अनुरोध के साथ प्रेषित राशि की वापसी है।हालाँकि, अपील में उनका मुख्य मामला यह है कि समाधान योजना पर अंतिम निर्णय ए होना चाहिए

जी.

एच.

1169

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दिया गया है और यह कोई आवश्यकता नहीं है कि समाधान योजना कॉर्पोरेट देनदारों के अधिकतम परिसंपत्ति मूल्य से मेल खाती हो। दूसरी ओर, दो मुख्य वित्तीय लेनदारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने श्री सिब्बल की मुख्य अपील का समर्थन करते हुए समाधान योजना को वापस लेने और श्री सिब्बल के मुवक्किलों द्वारा पहले से ही प्रेषित राशि को वापस करने की याचिका का विरोध किया है।श्री सिंघवी ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि कॉर्पोरेट देनदारों के कुल ऋण के लिए उनके ग्राहकों का जोखिम 2 करोड़ रुपये है और उनके ग्राहक कुल बकाया का 1 प्रतिशत के बराबर प्राथमिक लेनदार होने के कारण, यह उनके ग्राहक थे जिन्हें समाधान योजना के परिसमापन मूल्य से मेल नहीं खाने के कारण नुकसान उठाना पड़ता।

बी.

सी.

15. योजना को वापस लेने के पहलू पर, श्री सिंघवी ने 2016 संहिता की धारा 12-ए का उल्लेख किया है।उनका निवेदन है कि एकमात्र मार्ग जिसके माध्यम से एक समाधान आवेदक समाधान योजना को स्वीकार करने के बाद वापस यात्रा कर सकता है, उपरोक्त प्रावधान है। 2016 संहिता की धारा 12-ए में कहा गया हैः-

डी.

“ 12 ए. धारा 7 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेना,

9 या 10.– न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नब्बे प्रतिशत अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है।लेनदारों की समिति का मतदान हिस्सा, इस तरह से जो निर्दिष्ट किया जाए।"

ई.

16. यह माना जाता है कि लगभग Rs.472 करोड़ वित्तीय लेनदारों को प्रेषित किए गए हैं जो श्री सिब्बल के मुवक्किलों से प्राप्त हुए थे।डी. बी. इंटरनेशनल एशिया लिमिटेड, जिसके सी. ओ. सी. में 73.40% मतदान शेयर हैं, ने भी एम. एस. एल. द्वारा लिए गए आधार के समान आधार पर विवादित आदेश पर हमला किया है।

एफ.

17. हम इस अपील में दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे।पहला यह है कि क्या संहिता की योजना इस बात पर विचार करती है कि समाधान योजना का योग बनाने वाला हिस्सा परिसमापन मूल्य से मेल खाना चाहिए या नहीं।दूसरा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे वह यह है कि क्या धारा 12-ए वह लागू मार्ग है जिसके माध्यम से एक सफल समाधान आवेदक पीछे हट सकता है। इन दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हमें यह संकेत देना चाहिए कि बकाया चुकाने के पहलू पर वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के बीच समानता बनाए रखने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की विफलता पर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पर्याप्त तर्क दिया गया था।

जी.

एच.

18. संहिता की धारा 30 (2) (बी) उस तरीके को निर्दिष्ट करती है जिसमें एक समाधान योजना परिचालन लेनदारों को भुगतान के लिए प्रदान करेगी।संहिता की धारा 30 के प्रावधानों को नीचे दोहराया गया है:-

"30. समाधान योजना प्रस्तुत करना।– (1) एक समाधान आवेदक

सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किए गए समाधान पेशेवर को एक हलफनामे के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें कहा गया हो कि वह धारा 29 ए के तहत पात्र

है।(2) समाधान पेशेवर अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना -

बी.

(क) निगमित देनदार के अन्य ऋणों के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है;

सी.

(ख) प्रचालन ऋणदाताओं के ऋणों के भुगतान के लिए ऐसी रीति का प्रावधान करता है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए जो -

डी.

(i) धारा 53 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि; या

((ख) ऐसी ऋणदाताओं को दी जाने वाली राशि, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि को धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित किया गया होता,

ई.

जो भी अधिक हो, और वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऐसी रीति से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, जो निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी।

एफ.

स्पष्टीकरण 1.— संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

जी.

स्पष्टीकरण 2.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से इस खंड के प्रावधान एक निगमित देनदार की निगमित दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर भी लागू होंगे-ए

एच.

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

(i) जहाँ किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है;

((ख) जहां धारा 61 या धारा 62 के तहत कोई अपील की गई है या ऐसी अपील उस समय लागू कानून के किसी प्रावधान के तहत प्रतिबंधित नहीं है; या

बी.

((ग) जहां के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है -

समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण;

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद निगमित देनदार के मामलों के प्रबंधन का प्रावधान करता है;

सी.

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण; (ङ) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

(च) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है।

डी.

स्पष्टीकरण।— खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, यदि समाधान योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या किसी अन्य कानून के तहत शेयरधारकों की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता है, तो ऐसी मंजूरी दी गई मानी जाएगी और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

ई.

(3) समाधान पेशेवर अपने अनुमोदन के लिए लेनदारों की समिति के समक्ष ऐसी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करेगा जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती हैं।

एफ.

(4) लेनदारों की समिति कम से कम छियासठ प्रतिशत के मत से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है।वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का, इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद, प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है, जिसमें एक

सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित की प्राथमिकता और मूल्य और ऐसी अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं:

जी.

बशर्ते कि ऋणदाताओं की समिति दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रारंभ से पहले प्रस्तुत एक समाधान योजना को मंजूरी नहीं देगी।

एच.

जहां समाधान आवेदक धारा 29 ए के तहत अयोग्य है और समाधान पेशेवर से एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जहां इसके साथ कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है:

बशर्ते कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29 ए के खंड (सी) के तहत अयोग्य है, समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक नहीं हो, धारा 29 ए के खंड (सी) के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी:

बी.

परन्तु यह भी कि दूसरे परंतुक की किसी भी बात का अर्थ धारा 12 की उप-धारा (3) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं किया जाएगा और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।".

सी.

बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 द्वारा संशोधित धारा 29 ए में पात्रता मानदंड उस समाधान आवेदक पर लागू होंगे जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है।

डी.

(5) समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाता है:

ई.

बशर्ते कि समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसा समाधान आवेदक भी वित्तीय लेनदार न हो।

एफ.

(6) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।"

19. सी. आई. आर. पी. में परिचालन ऋणदाताओं के दावों पर जिस तरह से विचार किया जाएगा, उस पर इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा विचार किया गया है (जिसमें हम दोनों, न्यायमूर्ति नरीमन और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन सदस्य थे)।

जी.

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदार बनाम सतीश कुमार गुप्ता**,**

15 नवंबर**, 2019** को सिविल अपील संख्या **2019 (2019** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 1478)** में निर्णय लिया गया।उक्त रिपोर्ट में इस फैसले के पैराग्राफ **53** में यह अभिनिर्धारित किया गया है:**-** ए**.**

एच.

1173

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

"53. हालाँकि, जैसा कि परिचालन ऋणदाताओं की ओर से सही तर्क दिया गया है, संहिता की प्रस्तावना कॉर्पोरेट ऋणदाताओं की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन की बात करती है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेट देनदार दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान एक चालू संस्था के रूप में काम करता रहे और इसलिए विभिन्न परिचालन लेनदारों को पिछले और वर्तमान भुगतान करना चाहिए, जिसके बिना एक चालू संस्था के रूप में इस तरह का संचालन असंभव हो जाएगा।2016 के विनियमों के विनियम 37 और 38 के साथ पठित संहिता की धारा 5 (26), 14 (2), 20 (1), 20 (2) (डी) और (ई) सभी दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट देनदार के एक चालू चिंता के रूप में चलने की बात करते हैं।श्रमिकों को भुगतान करने की आवश्यकता है, बिजली बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता है, कच्चे माल की खरीद करने की आवश्यकता है, आदि। यह वास्तव में स्विस रिबन (ऊपर) में इस अदालत के फैसले में निम्नानुसार परिलक्षित होता है:-

बी.

सी.

“26. संहिता की प्रस्तावना में इस प्रकार कहा गया है:“ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ऋण की उपलब्धता और सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना करने के लिए, और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।”

डी.

ई.

27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है।संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट देनदारों के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के लिए एक संहिता।जब तक इस तरह का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा।इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना ताकि उन्हें कुशलता से चलाया जा सके, संहिता का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है।यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित देनदार के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।जब, इसलिए, एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक स्थिति में वापस लाया जाता है।

एफ.

जी.

एच.

मुख्यधारा में, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है।इन सबसे ऊपर, अंततः सभी हितधारकों के हितों की देखभाल की जाती है क्योंकि निगमित देनदार स्वयं समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है-श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, ऋणदाताओं को लंबे समय में पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में

सक्षम होंगे।एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। चूंकि अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से अधिक निवेश किया जा सकता है, इसलिए व्यापार तब आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाता है।दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है यदि या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं।परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है।

बी.

सी.

डी.

(आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम।सतीश

कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1] पैरा 83, एफ. एन. 3 पर।" (जोर दिया गया)

"54. यही कारण है कि विनियमन 38 (1 ए) एक समाधान योजना की बात करता है जिसमें एक बयान भी शामिल है कि इसने कॉर्पोरेट देनदार के परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों से कैसे निपटा है।विनियम 38 (1) में यह भी कहा गया है कि समाधान योजना के तहत परिचालन लेनदारों को देय राशि को वित्तीय लेनदारों की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी।यदि परिचालन लेनदारों को कुछ भी भुगतान नहीं किया जाना है, तो न्यूनतम परिसमापन मूल्य-जो ज्यादातर मामलों में सुरक्षित लेनदारों को भुगतान किए जाने के बाद शून्य होगा-निश्चित रूप से सभी हितधारकों के ब्याज को संतुलित नहीं करेगा या एक कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम नहीं करेगा यदि एक चालू चिंता के रूप में अपने व्यवसाय को जारी रखना असंभव हो जाता है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब लेनदारों की समिति कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यावसायिक निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करती है, तो उसे वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बकाया का भुगतान करने के लिए एक वाणिज्यिक निर्णय पर पहुंचने से पहले संहिता की इन प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ए का अंतिम विवेकाधिकार

ई.

एफ.

जी.

एच.

प्रत्येक वर्ग या उपवर्ग के लेनदारों को क्या भुगतान करना है और कितना भुगतान करना है, यह लेनदारों की समिति के पास है, लेकिन ऐसी समिति के निर्णय में इस तथ्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि उसने निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि इसने परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों को पर्याप्त रूप से संतुलित किया है।इस मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की न्यायिक समीक्षा कि लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना ने धारा 30 (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया है, इसमें न्यायिक समीक्षा शामिल होगी जो धारा 30 (2) (ई) में उल्लिखित है, क्योंकि संहिता के प्रावधान भी उस समय लागू कानून के प्रावधान हैं।इस प्रकार, जबकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण लेनदारों की समिति द्वारा लिए गए वाणिज्यिक निर्णय के गुण-दोष पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उपलब्ध सीमित न्यायिक समीक्षा यह देखने के लिए है कि लेनदारों की समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि कॉर्पोरेट देनदार को दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की आवश्यकता है; कि उसे अपनी संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की आवश्यकता है; और यह कि परिचालन लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा गया है।यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण तथ्यों के किसी दिए गए समूह पर पाता है कि उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो वह उपरोक्त मापदंडों को पूरा करने के बाद ऐसी योजना को फिर से प्रस्तुत करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को एक समाधान योजना वापस भेज सकता है।ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देते समय दिए गए कारणों को इस प्रकार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा केवल इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, और एक बार यह संतुष्ट हो जाने के बाद कि ऋणदाताओं की समिति ने इन प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दिया है, उसे समाधान योजना को पारित करना चाहिए, अन्य चीजें समान हैं।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

20. यह आगे एस्सार स्टील के मामले में आयोजित किया गया है।

(ऊपर):-

“124. श्री सिब्बल का दूसरा तर्क कि संहिता की धारा 53 केवल परिसमापन के दौरान लागू होगी और दिवालियापन के समाधान के चरण में नहीं, सही है।संहिता की धारा 30 (2) (बी) धारा 53 को लेनदारों के भुगतान की प्राथमिकता के संदर्भ में नहीं, बल्कि केवल परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान प्रदान करने के लिए संदर्भित करती है।हालाँकि, यह किसी भी तरह से लेनदारों की समिति को लेनदारों के रूप में वर्गीकृत करने से सीमित नहीं करता है।

जी.

एच.

1176

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 2 एस सी आर।

वित्तीय या परिचालन और सुरक्षित या असुरक्षित के रूप में।जैसा कि ऊपर देखा गया है, लेनदारों की समिति को पूर्ण स्वतंत्रता और विवेकाधिकार दिया गया है कि वह लेनदारों को इस प्रकार वर्गीकृत करे और सुरक्षित लेनदारों को ऐसी राशि का भुगतान करे जो उनकी प्रतिभूति के मूल्य पर आधारित हो सकती है, जिसे वे अन्यथा संहिता की प्रक्रिया के बाहर प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे निगमित समाधान प्रक्रिया ही बाधित हो जाएगी।”

बी.

21. एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित आदेश का समर्थन करने वाले प्रत्यर्थीगणओं का प्रस्तुतिकरण 2016 संहिता की धारा 30 (2) (बी) के संदर्भ में किया गया है।हमने श्री सिंघवी द्वारा की गई इस दलील पर ध्यान दिया है कि पिछले पैराग्राफ में व्यक्त 2016 विनियमों के खंड 38 (1) की प्रयोज्यता पर हमारी राय बनाने के लिए संहिता की धारा 53 के तहत परिसंपत्तियों के वितरण के लिए प्राथमिकता सूची में कॉर्पोरेट देनदार के परिचालन लेनदार काफी नीचे आते हैं।लेकिन इस बिंदु पर, परिचालन लेनदारों के दावों से निपटने के मुद्दे पर एस्सार स्टील (उपरोक्त) के मामले में समन्वय पीठ के निर्णय से एक स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है।उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 70 में उस फैसले में यह भी कहा गया है:-

सी.

डी.

“70. पहले के पैराग्राफ को पैराग्राफ 77 डी हॉर्स पढ़कर, अपीलीय न्यायाधिकरण गंभीर त्रुटि में पड़ गया है।पैराग्राफ 76 स्पष्ट रूप से UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड को संदर्भित करता है जो किसी भी संदेह से परे यह स्पष्ट करता है कि न्यायसंगत व्यवहार केवल समान

रूप से स्थित लेनदारों के लिए है।ऐसा होने के कारण, पैराग्राफ 77 में दिए गए अवलोकन का अर्थ यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि किसी भी समाधान योजना को पारित करने से पहले वित्तीय और परिचालन लेनदारों को समान राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।इसके विपरीत, पैराग्राफ 77 स्वयं यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों के ऋणों के भुगतान में अंतर है, परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान प्राप्त करना पड़ता है, जो परिसमापन मूल्य से कम नहीं होता है, जो वित्तीय लेनदारों पर लागू नहीं होता है।पैराग्राफ 77 में निर्धारित संशोधित विनियमन 38 फिर से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों, या सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों को समाधान योजना के तहत समान राशि, प्रतिशत के हिसाब से, भुगतान किया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह पारित हो सके।उक्त विनियमन के तहत परिचालन ऋणदाताओं के अधिकारों के निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार में समाधान योजना शामिल है जिसमें कहा गया है कि इसने परिचालन ऋणदाताओं के हितों के साथ कैसे व्यवहार किया है, जो यह कहने के समान नहीं है कि उन्हें उनके ऋण की समान राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1177

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

आनुपातिक रूप से।इसके अलावा, यह तथ्य कि परिचालन लेनदारों को सभी वित्तीय लेनदारों की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि इस तरह का भुगतान आवश्यक रूप से वित्तीय लेनदारों के समान वसूली प्रतिशत होना चाहिए। जब तक संहिता और विनियमों के प्रावधानों को पूरा किया जाता है, यह लेनदारों की समिति के आवश्यक बहुमत का व्यावसायिक विवेक है जो एक समाधान योजना पर बातचीत करना और उसे स्वीकार करना है, जिसमें विभिन्न वर्गों के लेनदारों को अलग-अलग भुगतान शामिल हो सकता है, साथ ही एक संभावित समाधान आवेदक के साथ बेहतर या अलग-अलग शर्तों के लिए बातचीत करना जिसमें लेनदारों के विभिन्न वर्गों के बीच राशि के वितरण में अंतर भी शामिल हो सकता है।”22. लेकिन परिचालन ऋणदाताओं के लिए समाधान योजना में कोई प्रावधान नहीं होने पर विवाद अब केवल अकादमिक है।अपीलीय प्राधिकरण से पहले ही सफल समाधान आवेदक वित्तीय लेनदारों के बराबर प्रतिशत में परिचालन लेनदारों के बकाया का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था।इसके अलावा, कोई भी परिचालन ऋणदाता

समाधान योजना की वैधता पर सवाल उठाने के लिए हमारे सामने नहीं आया है।यह अपील के तहत आदेश के पैरा 29 से प्रकट होगाः

बी.

सी.

डी.

“29. यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 'परिचालन लेनदारों' के प्राप्त दावे रु. 2,26,70,153/- के थे, जबकि उनका दावा है कि वे रु. 2,02,88,948/- के थे। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि चौथा प्रत्यर्थी सत्यापित 'परिचालन लेनदारों' को 'वित्तीय लेनदारों' के समान प्रतिशत यानी 25 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए तैयार है, जिसका भुगतान 'सफल समाधान आवेदक' के स्पष्ट और निरंकुश अधिकार और 'कॉर्पोरेट देनदार' के अधिकार प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।” (उद्धृत शब्दशः) 23। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने समाधान योजना को मंजूरी देने में मुख्य रूप से संहिता की धारा 31 पर भरोसा किया है।उक्त प्रावधान में कहा गया हैः

ई.

एफ.

“31. समाधान योजना की स्वीकृति।– (1) यदि न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा जो निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण सहित बाध्यकारी होगी, जिसे बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण दिया गया है।

जी.

एच.

कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले, जैसे कि ऐसे अधिकारी जिन पर वैधानिक बकाया है, गारंटर और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारक।

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उप-धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए एक आदेश पारित करने से पहले, यह संतुष्ट करेगा कि समाधान योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं।

बी.

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि समाधान योजना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है, वह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

सी.

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद, (ए) धारा 14 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख) समाधान पेशेवर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन और समाधान योजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड बोर्ड को उसके डेटाबेस पर दर्ज करने के लिए भेजेगा।

डी.

(4) समाधान आवेदक, उप-धारा (1) के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, उप-धारा (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, किसी भी कानून के तहत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

ई.

बशर्ते कि जहां समाधान योजना में संयोजन का प्रावधान है, जैसा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 में संदर्भित है, समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पहले उस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।”24. इंडियन बैंक और निगमित ऋणदाता के उक्त प्रवर्तक की ओर से भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के खंड 35 पर निर्भरता रखी गई थी:

एफ.

जी.

“35. परिसमापन मूल्य।(1) परिसमापन मूल्य निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का अनुमानित प्राप्य मूल्य है यदि निगमित देनदार को दिवाला शुरू होने की तारीख को परिसमापन किया जाना था।

एच.

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

ए.

(2) परिसमापन मूल्य निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा:(क) विनियमन 27 के तहत नियुक्त दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, को निगमित देनदार की सूची और अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगणित परिसमापन मूल्य का अनुमान प्रस्तुत करेंगे।

बी.

(ख) यदि अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर की राय में, जैसा भी मामला हो, दोनों अनुमान काफी अलग हैं, तो वह एक अन्य पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता नियुक्त कर सकता है जो उसी तरीके से संगणित अनुमान प्रस्तुत करेगा; और (ग) दो निकटतम अनुमानों के औसत को परिसमापन मूल्य माना जाएगा।

सी.

(3) समाधान पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक रूप में समिति को परिसमापन मूल्य प्रदान करेगा।"

डी.

25. अब सवाल यह उठता है कि क्या समाधान योजना को मंजूरी देते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, भले ही वह संहिता की धारा 31 की आवश्यकता का अनुपालन करता हो।इंडियन बैंक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता और कॉर्पोरेट देनदार के उक्त पूर्व प्रवर्तक ने इस बात पर जोर दिया है कि 500 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को जारी करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। Rs.477 करोड़ के लिए MSL को 597.54 करोड़।इन दोनों प्रत्यर्थीगणओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अन्य समाधान आवेदक का उल्लेख करते हुए इस बिंदु पर अपनी प्रस्तुति को मजबूत करने की मांग की है, जिसकी बोली Rs.490 करोड़ के लिए थी जो अपीलकर्ता एमएसएल की बोली से अधिक है।

ई.

एफ.

26. संहिता या विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जिसके तहत किसी भी समाधान आवेदक की बोली को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के खंड 35 में प्रदान किए गए तरीके से प्राप्त परिसमापन मूल्य से मेल खाना पड़ता है।एस्सार स्टील (ऊपर) के

मामले में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है।हमने इस निर्णय के प्रासंगिक अंशों को ऊपर उद्धृत किया है।

जी.

27. हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की मूल्यांकन प्रक्रिया को निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य सी. ओ. सी. को समाधान योजना पर ठीक से निर्णय लेने में सहायता करना है।एक बार, सी. ओ. सी. द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दे दी जाती है, तो वैधानिक अधिदेश

एच.

संहिता की धारा 31 (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना है कि एक समाधान योजना उसकी धारा 30 की उप-धारा (2) और (4) की आवश्यकता को पूरा करती है।हम स्वयं समाधान योजना को मंजूरी देने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश में उक्त प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं पाते हैं।

28. अपीलीय प्राधिकरण, हमारी राय में, वाणिज्यिक विवेक के बजाय न्यायसंगत धारणा पर आगे बढ़ा है।इसके बावजूद, परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य से 20 प्रतिशत कम मूल्य पर परिसंपत्तियों को जारी करना असमान प्रतीत होता है।यहाँ, हम महसूस करते हैं कि न्यायालय को मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर समाधान योजना का आकलन करने के बजाय लेनदारों के व्यावसायिक विवेक को आधार देना चाहिए।संहिता की योजना ऐसी है।संहिता की धारा 31 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाधान योजना के अंतिम अनुमोदन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट होना होगा कि संहिता की धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकता का पालन किया गया है।संहिता की धारा 31 (1) के प्रावधान में एक अन्य बिंदु निर्धारित किया गया है जिस पर एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट किया जाना है।वह कारक यह है कि समाधान योजना में इसके कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं। एस्सार स्टील (उपर्युक्त) के मामले में सीमित न्यायिक समीक्षा में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश निर्धारित की गई है, जिसका प्रासंगिक परिच्छेद (पैरा 54) हमने इस निर्णय के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किया है।एम. एस. एल. का मामला उनकी अपील में है कि वे कंपनी चलाना चाहते हैं और अधिक धन का निवेश करना चाहते हैं।ऐसी परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि अपीलीय प्राधिकरण को निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए था ताकि सफल समाधान आवेदक को अपने धन प्रवाह को अग्रिम रूप से बढ़ाने का निर्देश दिया जा सके।29. जहाँ तक एम. एस. एल. द्वारा निकाले गए आई. ए. का संबंध है, हमारी राय में वे इस अदालत से संपर्क करने के तरीके से कार्यवाही

से पीछे नहीं हट सकते हैं।धारा 12-ए में निर्धारित निकास मार्ग समाधान आवेदक पर लागू नहीं होता है।उक्त प्रावधान में परिकल्पित प्रक्रिया केवल संहिता की धारा 7,9 और 10 को लागू करने वाले आवेदकों पर लागू होती है।इस मामले में, समाधान योजना को लागू करने के उद्देश्य से एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के खिलाफ अपील करने के बाद, एम. एस. एल. को उसी अपील के संबंध में दायर आवेदन में विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसके अलावा, एमएसएल ने केवल कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को गिरवी रखने पर धन जुटाया है।ऐसी परिस्थितियों में, हम इस प्रश्न को निर्धारित करने की न्यायिक कवायद में शामिल नहीं हैं कि क्या सी. आई. आर. पी. में सफल होने के बाद, एक आवेदक ऐसी प्रक्रिया से हटने के अपने अधिकार को पूरी तरह से खो देता है या नहीं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1181

महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

ए.

30. कॉरपोरेट देनदार की संपत्ति पर कब्जा करने में समाधान पेशेवर की ओर से विफलता और बाद में उसे एमएसएल को सौंपने में विफलता पर एमएसएल द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे। ये मुद्दे तथ्यात्मक हैं।समाधान पेशेवर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ने इस तरह के आरोपों पर आपत्ति जताई।एन. सी. एल. ए. टी. का आदेश विवाद के इस पहलू से संबंधित नहीं है और हमें नहीं लगता कि हमें संहिता की धारा 62 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उस प्रश्न का निर्धारण करने में खुद को संलग्न करना चाहिए।

बी.

31. हम, तदनुसार, एम. एस. एल. की अपील को स्वीकार करते हैं और हमारे समक्ष अपील के तहत एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश को रद्द कर देते हैं।21 जनवरी 2019 को पारित न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश की पुष्टि की गई है।हालांकि, एम. एस. एल. परिचालन लेनदारों को उनके बकाया के अनुसार आगे के प्रेषण के लिए समाधान पेशेवर को

Rs.50,72,237/- की अतिरिक्त राशि भेजेगा।यह राशि पहले से ही परिचालन लेनदारों को दी जा चुकी है, जैसा कि विवादित आदेश में दर्ज है।हम 2019 के C.A.No.4242 के संबंध में निकाले गए 2019 के I.A.No.115118 को खारिज करते हैं।2019 के C.A.No.4967-68 को भी इसी तर्क पर अनुमति दी गई है।हमारे उपरोक्त निष्कर्षों और इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, हम इस सवाल में नहीं जा रहे हैं कि क्या कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव के संबंध में एमएसएल द्वारा कोई अवैधता की गई थी।

सी.

डी.

32. हम, तदनुसार, समाधान पेशेवर को कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने और इसे चार सप्ताह की अवधि के भीतर एमएसएल (2019 के C.A.No.4242 में अपीलकर्ता) को सौंपने का निर्देश देते हैं।पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे समाधान पेशेवर को सहायता प्रदान करें ताकि वह इन निर्देशों का पालन कर सके।

ई.

एफ.

33. सभी अंतरिम आदेश भंग हो जाते हैं और संबंधित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

34. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों की अनुमति दी गई।

एच.